2248
16-5-12

613
16/5/12

No. I.12011/10/2009-Org. 351
Directorate General, ITBP
(Ministry of Home Affairs)
Government of India,
Block No.2, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 14 May, 2012

Memorandum

Subject: Notification of Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules 2012.

A copy of Notification of Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules 2012 after having been published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 297 (E) dated 17/4/2012 is sent herewith for information and necessary action at your end please.

2. All IsG (Frontier HQ) are requested to kindly circulate a copy of above notification to all Units, Sector HQs and Training Centres under their ops/administrative control.

Encl: As above.

for Dy Inspector General (Org)

To

1. All Inspectors General (Frontier HQ)/ IG (Training Zone)/ IG (L&C) Zone, ITB Police.
2. Director, ITBP Academy, Mussoorie.
3. DIG, CIJW/NITSRDR/NTCD & A, ITB Police.
4. Commandants Base Hospital Delhi/ Composite Hospital Chandigarh and Itanagar.
5. Sh. Jagmal Singh, Supdt. (Leg-I), OL Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Govt. of India, 7th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi with a copy of above notification for favour of information please.

Internal:

1. Dy. Inspector General (Training), Dte Genl, ITB Police.
2. Senior Administrative Officer (Estt), Dte Genl, ITBP.
3. Second-in-Command, Rectt. Cell, Dte. Gen., ITBP.
4. Dy. Commandant(IT), Dte Genl. with the request to upload above notification in MHA/ITBP website.

DC (IT), Dte.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2012/चैत्र 28, 1934
No. 171] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2012/CHAITRA 28, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 297(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर समूह 'क' पदों की भर्ती नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर समूह 'क' पद भर्ती संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 में;

(क) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. सेवा की अन्य शर्तें :—उक्त काडर में नियुक्त व्यक्ति, इन नियमों में विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं की गई सेवा की अन्य शर्तों की बाबत, समय-समय पर यथा संशोधित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम, 1992 और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, 1994 के अध्यधीन होंगे ।

अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उस योधक पद के लिए विहित वर्दी पहननी होगी जिस पर उनकी नियुक्ति हुई है और उन्हें, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हो जाने पर तुरन्त ऐसा बुनियादी प्रशिक्षण लेना होगा जो विहित किया जाए ।"

(ख) नियम 7 और 8 को नियम 8 और 9 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,–

(क) क्रम संख्या 1, और उससे संबंधित प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप महानिरीक्षक (पशु चिकित्सक)	01* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', (अननुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु + ग्रेड वेतन 8,900 रु. + केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन में मूल वेतन के पच्चीस प्रतिशत की दर से व्यवसाय निषेध भत्ता ।	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन द्वारा ।	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों (चयन श्रेणी) में से की जाएगी जिन्होंने समूह 'क' सेवा के कुल बीस वर्ष सहित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो । **टिप्पण 1.**–जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2.**–प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार

(11)

किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन बैंड, और ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी :—

(क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ख) जिन्होंने समूह 'क' में बीस वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन बैण्ड-4, 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु. में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

(ग) निम्नलिखित अर्हता रखते हों :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में बैचलर की डिग्री ; और

(ii) भारत की पशु चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण।

टिप्पण 1.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.—प्रेषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3.—प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिज़र्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,–

(क) क्रम संख्या 1, और उससे संबंधित प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप महानिरीक्षक (पशु चिकित्सक)	01* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', (अननुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु + ग्रेड वेतन 8,900 रु. + केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन में मूल वेतन के पच्चीस प्रतिशत की दर से व्यवसाय निषेध भत्ता।	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन द्वारा।	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों (चयन श्रेणी) में से की जाएगी जिन्होंने समूह 'क' सेवा के कुल बीस वर्ष सहित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठयक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण 1.**–जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**–प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार

(iii) स्तम्भ 10 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: –

" सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष";

(iv) स्तम्भ 11 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: –

" सीधी भर्ती द्वारा" ।

टिप्पण : किसी पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या रुग्णता के कारण या अध्ययनार्थ छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों से हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा;

(क) जो नियमित आधार पद सदृश पद धारण किए हुए हों; और

(ख) जो स्तम्भ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों ।"

[फा. सं. I-12011/10/2009-संग.]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2012

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) and clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2010;

(a) after rule 6, the following shall be inserted, namely :

"7. **Other conditions of service.**–The persons appointed to the Cadre shall subject to the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 and Indo-Tibetan Border Police Force Rules 1994 as amended from time to time in respect of other conditions of service not specifically provided for in these rules.

The persons appointed on deputation from other departments shall have to wear the uniform prescribed for the combatised post against which they are appointed and have to undergo basic training as may be prescribed immediately on appointment on deputation".

(b) Rules 7 and 8 shall be re-numbered as rules 8 and 9.

(2) In the Schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2010 :—

(a) Before serial number 1, and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Inspector General (Veterinary)	01* (2012) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial Combatised).	Pay Band-4, Rs. 37,400-6,7000 plus Grade Pay Rs. 8,900 plus non-practicing allowance @ twenty five percent of the Basic Pay in the Pay Band plus Grade Pay prescribed by the Central Government from time to time.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in grade from which promotion or deputation or absorption is to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation or re-employment of ex-servicemen.	**By Promotion :** From amongst Chief Veterinary Officers (Selection Grade) of Indo-Tibetan Border Police Force with two years' regular service as Chief Veterinary Officers (Selection Grade) with total twenty years of Group 'A' service and have successfully completed pre-promotion course or courses as prescribed. **Note 1.**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less,and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.**—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission. **By deputation :** I. Officers of the Central Government or State Government :— (a) holding analogous posts on a regular basis; or (b) with two years regular service in PB-4, Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay Rs. 8,700 with twenty years regular service in Group 'A' post, and (c) possessing the following qualification :— (i) Bachelor's Degree in Veterinary Service and Animal Husbandry from a recognized University, and (ii) Registration with the Veterinary Council of India.

(11)
Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.   **Note 2.**—The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.   **Note 3.**—For the purpose of the appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st Janaury, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.   **For Ex-servicemen :**   **Deputation or Re-Employment :** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reverse within a period of one year and having qualifications and experience prescribed above for deputation, shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment basis.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Secretary, Ministry of Home Affairs —Chairman 2. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. One of the Directors General from other Force (to be nominated by the Chairman) —Member 4. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs —Member 5. Nominee of Department of Personnel and Training —Member	Not applicable.

(b) (i) against serial number 1, relating to the post of Chief Veterinary Officer (Selection Grade),—

in column 1, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"2. Chief Veterinary Officer (Selection Grade)"

(ii) in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"2* (2012)

*Subject to variation dependent on work load.";

(iii) in column 12, under sub-heading "Promotion" for entires, the following shall be substituted namely :—

"Chief Veterinary Officer with five years regular service in the grade failing which two years regular service in the grade of Chief Veterinary Officer with total 15 years Group 'A' Service and have successfully completed pre-promotion course or courses as prescribed";

(c) (i) against serial number 2, relating to the post of Chief Veterinary Officer;

in column 1, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"3. Chief Veterinary Officer";

(ii) in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"6* (2012)

*Subject to variation dependent on work load.";

(d) (i) against serial number 3, relating to the post of Senior Veterinary Officer;

in column 1, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"4. Senior Veterinary Officer";

(ii) in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"11* (2012)

*Subject to variation dependent on work load.";

(e) (i) against serial number 4, relating to the post of Assistant Surgeon;

in column 1, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"5. Assistant Surgeon";

(ii) in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"49*(2012)

*Subject to variation dependent on work load.";

(iiii) in column 10, for entries, the following shall be substituted, namely :—

"Two years for direct recruits";

(iv) in column 11, for entries, the following shall be substituted, namely :—

"By Direct recruitment.

Note : Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or being illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Govt.

(a) holding analogous post on regular basis; and

(b) possessing the qualifications prescribed for direct recruitment under column-8".

[F. No. I-12011/10/2009-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR 853(E), dated the 22nd October, 2010.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 2012